न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)

आर०एम० वाद सं०–205 / 2022–23
छोटानगपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(1)b
धनंजय महतो बनाम श्रीपद महतो

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
09/9/23		

विक्रेता का नाम एवं पता :– धनंजय महतो पिता–स्व० भुखला महतो, ग्राम–चैनपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, प्रखण्ड–राहे, जिला–राँची।

क्रेता का नाम एवं पता :– श्रीपद महतो पिता–स्व० सुरना महतो, ग्राम–चैनपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, प्रखण्ड–राहे, जिला–राँची।

विद्वान अधिवक्ता का नाम :– शिव शंकर महतो एवं यमुना प्रसाद

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–29 / 03 / 2023 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)b के तहत क्रेता– श्रीपद महतो पिता–स्व० सुरना महतो, ग्राम–चैनपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची प्रखण्ड–राहे, जाति–कुरमी(महतो), पेशा–खेतीबारी के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

बिक्री हेतु भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी			
					उ०	द०	पू०	प०
चैनपुर	सोनाहातु / 76	32	360	04डी०	आर० एस० प्लॉट सं०–317	आर० एस० प्लॉट सं०–358	आर० एस० प्लॉट सं०–359	आर० एस० प्लॉट सं०–361, 362

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधरण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक–192(ii) दिनांक–06 / 07 / 2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत हैः–

1. प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत डोमना महतो पिता–गोपाल महतो वगै० दर्ज है।
2. खतियान रैयत / पंजी–II रैयत विक्रेता के दादा–पोता है।
3. पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम विश्वनाथ महतो वल्द वोलाई महतो वगै० के नाम दर्ज है। तथा रैयत के पास रकबा–14.06 एकड़ भूमि है।
4. प्रस्तावित भूमि का मालगुजारी वर्ष–2022–23 तक वसूली गई है।

5. जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पोता का है। तथा खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।
6. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित भूमि काएमी है।
7. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् विक्रेता 14.02 एकड़ भूमि शेष रह जायेगा।
8. विक्रेता प्रस्तावित भूमि को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
9. क्रेता एवं विक्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य है।
10. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही थाना क्षेत्र (सोनाहातु) के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवदेन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)b के तहत विक्रेता–धनंजय महतो पिता–स्व० भुखला महतो, ग्राम–चैनपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, प्रखण्ड–राहे, जिला–राँची पेशा–खेतीबारी को क्रेता–श्रीपद महतो पिता–स्व० सुरना महतो, ग्राम–चैनपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, प्रखण्ड–राहे, जिला–राँची पेशा–खेतीबारी के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने हेतु अनुमति देने की अनुशंसा किया गया है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–31/03/2023 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता–धनंजय महतो पिता–स्व० भुखला महतो, ग्राम–चैनपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, प्रखण्ड–राहे, जिला–राँची पेशा–खेतीबारी को क्रेता–श्रीपद महतो पिता–स्व० सुरना महतो, ग्राम–चैनपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, प्रखण्ड–राहे, जिला–राँची पेशा–खेतीबारी के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)b के तहत दी जाती है। अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

बिक्री हेतु भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी			
					उ०	द०	पू०	प०
चैनपुर	सोनाहातु /76	32	360	04डी०	आर० एस० प्लॉट सं०–317	आर० एस० प्लॉट सं०–358	आर० एस० प्लॉट सं०–359	आर० एस० प्लॉट सं०–361, 362

लेखपित एवं संशोधित।

09/09   09/09

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

Digitally signed by SANDEEP ANURAG TOPNO
Date: 2024.01.08 14:03:58 +05:30
Location: 10.93.79.9